

राजनीति प्रक्रिया में महिलाओं की दशा एवं दिशा

सारांश

दुनिया के लगभग अधिकांश देशों में शताब्दियों से बालिकाएँ, किशोरियाँ, युवतियाँ प्रौढ़ाएँ केवल इस आधार पर भेदभाव का शिकार होती आयी हैं कि वे महिला हैं। महिला उत्पीड़न अधिकांशत : व्यापक सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक संरचना का हिस्सा है, जो महिलाओं को ऐसे उत्पीड़न का हिस्सा बना देता है जिसके लिए सिर्फ राजनीति कारकों या राज्य को ही दोषी नहीं माना जा सकता है।

पिछले कुछ वर्षों से महिलाओं के उत्थान हेतु “कल्याण और विकास” कार्यक्रमों में बजाय “सशक्तिकरण” पर जोर दिया जाने लगा है। सशक्तिकरण से अभिप्राय है— अधिकार, सामर्थ्य और निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करने की क्षमता ।

मुख्य शब्द : मंत्रिपरिषद, महिला सशक्तिकरण, राजनीतिक प्रक्रिया ।

प्रस्तावना

राजनीति प्रक्रियामें महिलाओं की भागीदारी से तात्पर्य है— प्रमुख राजनीति पदों पर महिलाओं को अनुपातिक दृष्टि से चुना जाना, विधायिका में महिलाओं का उनकी संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व होना, मंत्रिपरिषद जैसे नीति निर्माण निकायों में महिलाओं का समुचित प्रतिनिधित्व ।

इस तथ्य से इंकार नहीं किया जा सकता कि, किसी भी अविकसिक अथवा पिछडे समूह को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने, उसे आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक तथा प्रशासनिक क्षेत्रों में विकसित वर्गों के समकक्ष लाने में राजनीति निर्णय प्रक्रिया की अहम भूमिका होती है। यदि ऐसे वर्गों की राजनीति में समान रूप से भागीदारी सुनिश्चित कर दी जाये तो निश्चित रूप से विभिन्न क्षेत्रों में उन्हें अपने उन्नयन के अच्छे अवसर प्राप्त हो सकेंगे । इस दृष्टि से सभी देशों में महिलाओं की राजनीतिक प्रक्रिया में भागीदारी सुनिश्चित करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

राजनीतिक एवं सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की सक्रिय भूमिका उनमें स्वावलम्बन की भावना पैदा करती है। इसी दृष्टि से 18 दिसम्बर 1976 को संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने “महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव की समाप्ति पर अभिसमय” को सर्व सम्मान से स्वीकार किया। अभिसमय के अनुसार सभी राष्ट्र देश की राजनीति में महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार देंगे कहा ।

1. चुनाव एवं जनमत संग्रह में मत देने तथा विधायिकाओं और अन्य सार्वजनिक निकायों में चुने जाने का अधिकार हो,
2. सरकारी नीतियों के निर्माण एवं उनके कार्यान्वयन में सहभागिता तथा सरकार में सभी स्तर के पदों को धारण करने का अधिकार हो,
3. देश के राजनीतिक एवं सार्वजनिक जीवन में सक्रिय गैर सरकारी संगठनों और संघों में संक्रिय रूप से भाग लेने का अधिकार हो,

राजनीतिक प्रक्रियामें महिला भागीदारी—बाधक तत्व

राजनीतिक प्रक्रियामें महिला भागीदारी के मार्ग में बाधक तत्व विद्यमान है। ये बाधक तत्व एक नहीं वरन् अनेक हैं तथा इनमें राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक सभी प्रकार के तत्व हैं। विभिन्न बाधक तत्वों की एक संक्षिप्त विवेचना इस प्रकार है।



सुषमा चौरे

सहायक प्राध्यापक,
राजनीति विज्ञान विभाग,
शास.रा.सु.मु.दे.महाविद्यालय
छुरिया, राजनांदगांव,
छत्तीसगढ़

राजनीतिक तत्व

राजनीतिक क्षेत्र में अनेक ऐसे कारक हैं जो महिलाओं की भागीदारी को बाधित करते हैं। लगभग सभी देशों की राजनीति ‘पुरुष वाली और पुरुषों की कार्य शैली’ (Male Dominated & Masculine Style Politics) पर है, तथा उसमें महिलाओं की परिस्थितियाँ और सुविधाओं पर ध्यान नहीं दिया गया है। संसदीय बहसों के लम्बे घंटे तथा उसके उपरांत संसदीय समितियों कार्य, दलीय कार्य और निर्वाचन क्षेत्र से जुड़े विभिन्न कार्य तथा इन कार्यों से जुड़ी विभिन्न यात्राएँ यह सब कुछ इतना अधिक हो जाता है कि महिलाएँ—पत्नी, माँ और दादी भूमिका निभाने या गृहस्थी से जुड़े समस्त कार्यों के साथ इनका तालमेल नहीं बिठा पाती। महिला को राजनीति में प्रवेश करने से पूर्व परिवारिक सदस्यों से अनुमति लेनी होती है, जो सामान्यता एक सरल कार्य नहीं है।

निडिध्य श्वेदोवा ने अपने एक लेख में इन कठिनाइयों का उल्लेख इस प्रकार किया है—“ किसी महिला के लिए राजनीति में प्रवेश करने का विचार बना पाना बहुत अधिक कठिन है। एक बार वह अपना विचार बना ले, तब उसे इस संबंध में अपने पति, बच्चों और परिवार को तैयार करना होता है। जब वह इन सब कठिनाइयों को पार कर दल के टिकट के लिये आवेदन करें, तब पुरुष प्रतियोगी जिसके विरुद्ध उसे चुनाव लड़ना है, उसके संबंध में कई तरह की कहानियाँ प्रचारित—प्रसारित करता है। इस सबके बाद जब उसका नाम दलीय नेताओं के सामने जाता है, तब वे उसे इस कारण उम्मीदवारी से वंचित कर देते हैं कि उन्हें सीट खो देने का डर रहता है। ”अधिकांश अंशों में हम आज भी पुरुष प्रधान समाज में रह रहे हैं। और पुरुष प्रधान समाज के राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी कम हो यह नितांत स्वाभाविक है।

सामाजिक – आर्थिक तत्व

राजनीति महिलाओं का कार्य श्रेत्र नहीं है, सदियों से चला आ रहा यह विचार अब भी अनेक अंशों में बना हुआ है। परिणामतः महिलाएँ राजनीति की ओर उन्मुख नहीं होती और इस ओर उन्मुख होती हैं तो उन्हें विधिक प्रकार से हतोत्साहित किया जाता है। इसके अतिरिक्त विश्व के अधिकांश देशों की राजनीति में धन की शक्ति बहुत अधिक बढ़ गई है। उम्मीदवारों को दल की ओर से बहुत थोड़े ही वित्तीय साधन दिये जाते हैं। शेष वित्तीय साधन तो उम्मीदवारों को स्वयं ही जुटाने होते हैं। विविध क्षेत्रों से वित्तीय साधन जुटा लेने का कार्य पुरुष की तुलना में महिलायें ठीक प्रकार से नहीं कर पाती। यह बात उन्हें नुकसान की स्थिति में पहुँचा देती है। इन सबके अतिरिक्त अधिकांश देशों में राजनीति

बहुत भद्रा और विभिन्न दुष्टताओं से भरा खेल बन गया है। जैसे व्यक्तिगत लांचन, दुष्प्रचार, छलयोजित प्रसार, राजनीतिक जोड़-तोड़, बल प्रयोग और फर्जी मतदान, चुनाव में विजय प्राप्त करने के गुर बन गये हैं। पुरुष इन सभी कार्यों में महिलाओं की शालीनता उन्हे इन कार्यों से विमुख करती है और वे नुकसान में रहती हैं।

राजनीतिक शिक्षा और सम्पर्क सुविधाओं में महिलाओं का पिछड़ापन

शिक्षा, राजनीति के संरचनात्मक तत्व का कार्य करती है और लगभग सभी देशों में महिलाये शिक्षा के संबंध में पुरुषों से बहुत पीछे हैं। राजनीतिक शिक्षण, प्रशिक्षण में तो वे पुरुषों से बहुत पीछे हैं। परिणामस्वरूप वे चुनाव लड़ने का विचार नहीं कर पाती। यदि पाती हैं तो तो वे सफल नहीं हो पाती। मजदूर संघों, व्यवसायिक संघों और अन्य दबाव समूहों से महिलाओं के नाम को आगे बढ़ाने की ओर प्रवृत्त नहीं होते। एक सोचनीय तथ्य यह है कि महिला संगठन भी सामान्यतया इस बात में रुचि नहीं लेते कि चुनावों में महिलाओं की उम्मीदवारी अधिक हो और जो महिला उम्मीदवार है, वे चुनाव में विजयी हो।

मनोवैज्ञानिक तत्व

राजनीति में महिलाओं की कम भागीदारी में मनोवैज्ञानिक तत्वों का भी योग है। राजनीति उनका कार्यक्षेत्र हो सकता है और वे चुनाव में विजयी हो सकती हैं। इस बात के संबंध में सामान्यतया उनमें आत्मविश्वास का अभाव देखा गया है। अतः वे राजनीति की ओर उन्मुख नहीं होती। ‘राजनीति एक गन्दा खेल है’ यह बात बहुप्रचारित है और बहुत कुछ अंशों में सत्य भी है। स्वाभाविक रूप से महिलाएं राजनीति में भाग लेने की बात सरलता से नहीं सोच पाती।

जनसंचार साधनों (Medi) की भूमिका

महिलाओं की कम भागीदारी के लिये समाचार पत्र और टेलीविजन आदि जनसंचार के साधन अपनी लोकप्रियता बढ़ाने और अपने व्यवसायिक हितों के कारण नारी की देह उसके सौंदर्य और आकर्षण को ही केंद्र बिन्दु बनाये हुए हैं। इस बात को भुला दिया गया है कि नारी न केवल आकर्षक शरीर वरन् ज्ञान और समझ से परिपूर्ण मस्तिष्क और रचनात्मकता की धनी हैं।

कुछ अन्य तत्व भी हैं, साधारण बहुमत की पद्धति भी राजनीति में नारी की कम भागीदारी के लिए उत्तरदायी बताई जाती है। प्रमुख कारण तो स्वयं पुरुष और समाज के एक वर्ग की पुरुषवादी सोच और निहिता स्वार्थ ही हैं। विडम्बना यह है कि स्वयं नारी जाति का एक वर्ग पुरुषवादी सोच से ग्रस्त हैं।

राजनीति में महिला भागीदारी को बढ़ाने के लिये सुझाव महिलाओं का राजनीतिकरण

महिलाओं का राजनीतिकरण महिला भागीदारी को बढ़ाने का निश्चित उपाय है। महिलाओं का राजनीतिकरण एक व्यापक धारणा है और इसके अंतर्गत अनेक बातें आती हैं। जैसे सूचना विचार और ज्ञान राजनीति का संरचनात्मक ढांचा हैं। अतः महिलाओं की सर्वांगीण जीवन और राजनीति के संबंध में अधिकाधिक जानकारी देने, उनके विचार और ज्ञान को आगे बढ़ाने और राजनीति के प्रति उनमें अधिक से अधिक रुचि पैदा करने की प्रत्येक संभव चेष्टा की जानी चाहिये।

महिलाओं को अपनी समस्याओं, सामाजिक समस्याओं जीवन और प्रश्नों पर बातचीत के लिये अधिकाधिक प्रोत्साहित किया जाना चाहिये। महिलाओं में आत्मविष्वास जागृत किया जाना चाहिए तथा इन्हें इस बात के लिये प्रेरित किया जाना चाहिए कि “यदि राजनीति एक गंदा खेल है” तो इस खेल की गन्दगी को कम करने और इसमें ताजगी लाने के लिये इसमें प्रवेश करना चाहिये।

महिला संगठित हो, विशेषतया राजनीतिक रूप में संगठित हो

राजनीति दलों के अन्दर और बाहर महिलाओं को संगठित होना चाहिये। महिलाएँ अधिक से अधिक संख्या में अपनी पसंद के राजनीति दल की सदस्यता प्राप्त करें और दल में स्वयं को प्रभावी बनाये। अधिकांश राजनीतिक दलों के नेतृत्व पद पर पुरुष आसीन हैं। उम्मीदवारों के चयन में उनके अपने लिंग आधारित पूर्वाग्रह होते हैं। इन पूर्वाग्रहों के प्रभाव को कम करने के लिये महिलाओं को इस बात पर जोर देना चाहिये कि उम्मीदवारों के चयन के लिये स्पष्ट नियम हो तथा नेतृत्व के प्रति निश्ठा के बजाय दल के प्रति निष्ठा को अधिक महत्व दिया जावे। जब राजनीतिक खेल के नियम स्पष्ट होंगे तो अपने प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिये महिलाएँ रणनीति विकसित कर सकती हैं। प्रत्येक राजनीतिक दल की महिला शाखाको अधिक सशक्त बनाने के प्रयत्न किये जाने चाहिये। महिला शाखा सशक्त हो और अपने लिये अधिक प्रतिनिधित्व की मांग करे।

गैर सरकारी संगठनों, विशेषतया महिला संगठनों की भूमिका

राजनीति अपेक्षाकृत विशुद्धता और रचनात्मकता की दिशा में आगे बढ़े, इस दृष्टि से गैर सरकारी संगठनों के द्वारा राजनीति में महिलाओं की अधिक भागीदारी पर बल दिया जाना चाहिये। इस प्रसंग में सभी महिला संगठनों की जागरूकता और सक्रियता को बढ़ाते हुए राजनीतिक दलों पर इस बात के लिये दबाव डाला जाना चाहिये कि, वे अपने संगठनात्मक ढांचे में महिलाओं को

प्रभावशाली भागीदारी दे और अधिक संख्या में उन्हें उम्मीदवार बनाये। “महिला का वोट महिला के लिये” यह स्थिति तो संभव और उचित नहीं हैं लेकिन जब कभी चुनाव मैदान में समान योग्यता वाले उम्मीदवार हो, तब महिला उम्मीदवार के पक्ष को पूरी धृति के साथ मजबूत किया जाना चाहिए।

महिला उन्मुख करने की चेष्टा

महिलाओं की मजदूर संघों और अन्य सभी दबाव समूहों में अपनी भागीदारी बढ़ानी चाहिये। दबाव समूहों को “महिला उन्मुख” करने की चेष्टा की जानी चाहिये।

राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय महिलाओं और महिला संगठनों की स्थिति

जीवन के सभी क्षेत्रों में संचार माध्यमों की भूमिका महत्वपूर्ण हैं तथा अधिकाधिक महत्वपूर्ण होती जा रही हैं। राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय महिला संगठनों के द्वारा जन संचार माध्यमों के साथ मित्रता की स्थिति बनायी जानी चाहिये। मीडिया नारी सौंदर्य को सामने लाने के साथ-साथ उसकी तेजस्विता, उर्जा, धृति और रचनात्मकता को भी पूरी कलात्मकता के साथ सामने लाये। जो महिलाएँ राजनीति में हैं वे अपना कार्य उचित रूप में कर सके और अन्य महिलाएँ राजनीति में आने के लिये प्रोत्साहित हो। इसके लिये आवश्यक है कि पुरुष वर्ग की समस्त सोच में परिवर्तन हो और गृहस्थी के कार्य में पुरुष महिलाओं के साथ भागीदारी करे।

राजनीतिक प्रक्रिया में महिलाओं की सहभागीता कैसे बढ़े?

लिंग भेद एक सार्वभौमिक स्थिति है। निर्णय निर्माण प्रक्रिया में महिलाओं को अपेक्षाकृत निरन्तर स्थान दिया जाता है। सहभागीता के दो आयाम हैं— परिणाम परक (Qualification) और गुणपरक (Qualification) कभी-कभी सहभागीता के परिणाम परक आयाम पर ही ध्यान दिया जाता है। उदाहरण के लिये महिलाएँ हैं तो समग्र जनसंख्या का आधा भाग, परन्तु निर्णय निर्माण के स्तर पर उनकी भूमिका अत्यंत न्यूनतम होती है। इसे तुरन्त परिवर्तित किये जाने की आवश्यकता है। सहभागीता का स्तर परक न होकर गुण परक होना चाहिए।

विकास प्रक्रिया (Development) में भी महिलाओं की सहभागीता बढ़ायी जानी चाहिए। महिलाओं के शिक्षा के अवसरों में बढ़ोत्तरी, उनके उन कार्यों को अपेक्षाकृत मान्यता जो वे बिना किसी परिश्रमिक के करती हैं, चुनावी राजनीति में बेहतर प्रतिनिधित्व उनके अधिकारों की रक्षा ले लिये बेहतर वैधानिक और राजनीतिक उपाय और निर्णय निर्माण प्रक्रिया में उनकी भूमिका कही अधिक सशक्त हो सकती है।

निष्कर्ष

महिलाओं के शासन मे सहभागिता के सन्दर्भ मे अर्थात् राजनीति प्रक्रिया मे सहभागिता के सन्दर्भ मे निष्कर्ष स्वरूप यह कहा जा सकता हैं की सही मायने मे लोकतत्रं तभी हो सकता हैं, जब शासन और विकास कार्यक्रम दोनों मे ही महिलाओं की सहभागिता हो। स्त्री और पुरुष दोनों की सहभागिता के बिना विकास कार्यक्रम के अभीष्ट लक्ष्य प्राप्त नहीं किये जा सकते हैं।

शासन मे महिलाओं की सहभागिता ही यह सुनिश्चित कर सकती हैं की, समाज को अपने सदस्यों की प्रतिभा का पूरा लाभ मिल रहा है। हालही के वर्षों में भारत जैसे देशों मे महिलाएँ राजनीतिक संस्थाओं और नौकरियों मे आरक्षण की मांग करती हैं और स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं मे महिलाओं को पहले ही 33 प्रतिषत आरक्षण दिया जा चुका हैं।

समस्त व्यवस्था और राजव्यवस्था मे महिला अपने लिये समानता और न्यायपूर्ण स्थान अवश्य प्राप्त कर लेगी। इस दिशा मे यात्रा प्रारंभ हो गयी है। लक्ष्य अवश्य ही प्राप्त होगा, यात्रा की गति को बढ़ाने की आवश्यकता है। महिला जागृति और शक्तिशाली राजनीतिक प्रतिबद्धता यात्रा की गति को बढ़ाने मे सहायक होंगे।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची

1. राजनीति विज्ञान—डॉ. पुखराज जैन
2. राजनीति विज्ञान—नन्दलाल
3. राजनीति विज्ञान — डॉ. बी. एल. फडिया